विक्रित सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के पेज सं0 114 के वी0कोड 0385 में लिखित दर 7500/– रूपया प्रति वर्गमीटर + व पेज नं0 1 के क्रमांक 8 के अनुसार नई विकसित कॉलोनी होने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त यानि 9,000/– रूपया प्रति वर्गमीटर है।

स्टाम्प का कुल योग – ..... रूपया
लेखपत्र का प्रकार – बैनामा
भूमि का प्रकार – आवासीय
सरकारी मालियत – ..... रूपया से अधिक नहीं है।
विक्रय मूल्य – .....
.....
.....
.....

मौजा – दिगारा
आबादी/कॉलोनी – संस्कार वैली
सम्पत्ति का प्रकार – आवासीय प्लाट नम्बर .....
मापन की इकाई – वर्गमीटर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल – .....वर्गमीटर
सड़क की स्थिति– विक्रित प्लाट..... मीटर चौड़े रास्ते पर स्थित है।

चौहद्दी –
पूरब – .....
पश्चिम – .....
उत्तर – .....
दक्षिण – .....

प्रथम पक्ष की संख्या– एक
द्वितीय पक्ष की संख्या – एक
नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष – संस्कार हाऊसिंग एण्ड डेबलपर्स (पेनकार्ड सं0 **ADCFS6887L**) जरिये पार्टनर रमेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री राजाराम गुप्ता निवासी– 1499, एस.एस.पी. रेजीडेन्स के सामने सिविल लाइन, जानकीपुरम, झाँसी, (पहचान, आधार कार्ड सं0 7418 2343 3099 से की गयी है।) मुख्तारआम कुमारी दीपिका गुप्ता पुत्री श्री रमेश चन्द्र गुप्ता निवासी– 22/1, मदनपुर खादर रोड सरिता बिहार नई दिल्ली (मो0– 9415031767)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष – .....
.....
..... (पहचान, ...
.....से की गयी है) (पेन नं0 .....)
(मो0 नं0 .....)

सम्पत्ति का विवरण – एक किता आवासीय प्लाट वाकै मौजा दिगारा कॉलोनी संस्कार वैली तहसील व जिला झांसी में स्थित है जिसकी **नाप**.....**मीटर X** .....मीटर कुल नाप ..... वर्गमीटर। विक्रित प्लाट में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। दस्तावेज हाजा के साथ प्लाअ मुवैया का नक्शा स्केली संलग्न है जिसमें विक्रित प्लाट व रंग लाल से दर्शाया गया है, जो बैनामा का अंश भाग है विक्रित प्लाट नजूल नगर पालिका, ग्रामसभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। विक्रित सम्पत्ति विक्रेता दीपिका गुप्ता पुत्री श्री रमेश चन्द्र गुप्ता ने जरिये बैनामा श्री भारत पुत्र श्री सवरजीत व श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री भारत से क्रय किया था। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झांसी में वही सं0 1 जिल्द सं0 3491 के पृष्ट सं0 207 से 232 पर क्रमांक 2463 पर दिनांक 28.06.2008 दर्ज है। विक्रित प्लाट का तलपट मानचित्र

Scanned by CamScanner

झांसी विकास प्राधिकरण झांसी से स्वीकृत है जिसका मानचित्र संख्या 230400116 है। रजिस्ट्री खर्चा विक्रेता द्वारा वहन किया गया है।
विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

यह कि कुमारी दीपिका गुप्ता उपरोक्त ने मुझ विक्रेता श्री रमेश चन्द्र गुप्ता को उक्त सम्पत्ति की देख –रेख के साथ ही जरिये मुख्तारनामा आम दिनांक 14.07.2004 ई0 को वय हिवा रहिन आदि के भी अधिकार प्रदान किये हैं। मुख्तारनामा की रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झांसी में वही नं0 4 खण्ड सं0 8 के पृष्ठ सं0 353 से 360 में नम्बर 46 दिनांक 14.07.2004 ई0 दर्ज हैं जिससे मुझ विक्रेता को उक्त सम्पत्ति हस्तान्तरित करने के पूर्ण हक हांसिल है। मुख्तारनामा का खण्डन नहीं किया गया है तथा मुख्तार नियोक्ता अभी जीवित है।

मैं कि विक्रेता उपरोक्त प्लाट उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ। जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है, न ही प्लाट के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है न ही प्लाट किसी जमानत, ऋण , डिग्री आदि में मगफूल है। अतः मैं विक्रेता अपना उपरोक्त प्लाट वकीमत उपरोक्त में वदस्त क्रेता उपरोक्त कतई वय करता हूँ, कब्जा दखल मालिकाना प्लाट मुवैया पर क्रेता को मौके पर बखूबी करा दिया है अधिकार क्रेता प्लाट मुवैया में मकान बनावें या खाली पड़ा रहने दें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें, आज की तारीख से प्लाट मुवैया से मेरा या मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा होगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया गया है सभी तथ्य पूरे–पूरे वर्णित किये गये हैं यदि विक्रेता या क्रेता द्वारा तहरीरशुदा दस्तावेज में किन्हीं तथ्यों को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकदमों आदि जैसे फौजदारी, दीवानी, माल, राजस्व, स्टाम्प एक्ट के वादों का दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा, सब रजिस्ट्रार , प्रारूपकर्ता (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, टाईपकर्ता या जरिये वकील चित्र प्रमाणित के गवाह का नहीं होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर एवं नक्शा नवीस द्वारा बनाये गये **'की–प्लान'** मानचित्र के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम में आवें।

दिनांक :

प्रारूपकर्ता – सरदार वीर सिंह, एडवोकेट, तहसील झाँसी।

टाईपकर्ता – रवि तहसील झांसी

गवाह (1)

गवाह (2)

Scanned by CamScanner